न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्याः– 40/2020

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती गुटी देवी पत्नी जगदीशरात जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,श्रीमती कमला पत्नी प्रेमाराम 02.लीला पत्नी नैनाराम 03.शायरदेवी पत्नी रामाराम 04.सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल जातियान जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति –

01.वादीनी की और से अधिवक्ता प्रहलाद सिह राजपुरोहित उपस्थित
02.प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित।

आदेश दिनाकः– 10/12/2024

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.01.2023 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 29.11.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम बासनी झुठा पटवार हल्का सरेचा के खसरा नम्बर 14 रकबा 26 बीधा 15 बिस्वा भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 29.11.2024 मय मौका फर्द दिनाक 07.11.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है–

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01.गुट्टी देवी पत्नी जगदीश राम जाति जाट सा,नारनाडी	14	2.7113	–	–
B	01.कमला पत्नी पेमाराम का हिस्सा 1/4 02.लीला पत्नी नेनाराम का हिस्सा 1/4 03.सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल का हिस्सा 1/4 04.सायरदेवी पत्नी रामाराम का हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0नारनाडी खातेदार	14	1.6188	–	–

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 07.11.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 07.11.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 40 / 2020

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती गुटी देवी पत्नी जगदीशरात जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,श्रीमती कमला पत्नी प्रेमाराम 02.लीला पत्नी नैनाराम 03.शायरदेवी पत्नी रामाराम 04.सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल जातियान जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 40 / 2020 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ...वर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 07.11.2024 के अनुसार विभाजन कर ...दीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल ...रामद करे।

...ज..मुबलिक..............................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय ...द व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक....................
..............................को अदा करें।

...मीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10/12/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

...ई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
...म्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा	–	–
...कालतनामा	–		स्टाम्प		
...म्प वजह सबूत			वकालतनामा		
...नताना वकील			स्टाम्प वजह सबूत		
...र्चा गवाहान			महनताना वकील		
...स कमिश्नर			खर्चा गवाहान		
...त इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			फीस कमिश्नर		
मीजाचन			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफर्रिक		
			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी